


मु0 न0:- 65 / 2024

तारीखरजू:- 10/10/24

उनवान:- कमलेश बनाम रामजीलाल वगै0
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
10/10/24	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी </p>
12/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य रजगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 11.12.24 को पेश हो।</p>
11/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य रजगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 11.12.24 को पेश हो।</p>
21/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य रजगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 11.12.24 को पेश हो।</p>
17/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्षीय उपस्थित का प्रार्थी नं0 की ओर से ही जाफिर वान इडलीकेट ने चकावा नामा पेश किया जो शाहीव पत्रावली वीडे। भांप्रार्थी नं0 2, 3, 6, ने गरपेक्षा पर कावेक्षित पर इत्यादि किने। वापजूड सूचना के उम्ह का प्रार्थीगण नं0 2, 3, 6 उपस्थित नहीं हुई। गार्थी कीई का विपण्ट उपस्थित हुआ वार 2 आयाज डिवाइ</p>

6556-63
10/10/24

गंगापुर सिटी



दिनांक	फर्द अहकाम	शामिल
20/2/20	<p>पतावली पेश हुई। प्रकीर्णकारी के अभाव में क्षेत्र का बांटेविका पर इस यावर हुलाका किसे की उम्द प्रमाण पत्र ठाह्वानी मिसेवाया को प्रकीर्णकारी ठाह्वानी चलाया जाये। इसलिख प्रमाण पत्र ठाह्वानी मिसेवाया मोरपुस के रगरेज मीपत जात है। फेरुपुसाल क्षेत्र मंत्रालय के फेरुपुस डाले डाले है।</p>	<p>110+ peds (2) 8-11-20</p>

197
 2
 7
 1